SAUB OF HANDLOOM AND VILLAGE INDUSTRIES PRODUCTS ON RAILWAY STATIONS

◆271. SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of railway stations where arrangements have been made for the sale of handloom and village industries products on station premises; and

(b) the facilities given by the Railways for the sale of such products on these stations?

THE DEPUTY MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) Lucknow (B.G. and M.G.), Gorakhpur, and Katihar.

(b) At Lucknow Jn. (B.G.), the U.P. Government have been given a contract for sale of handloom products and art goods through a hand-trolley.

At Lucknow (M.G.), Gorakhpur and Katihar, private contractors have been allowed to sell handloom products.

श्री देवकीनन्दन नारायणः क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे कौन कौन से स्टेशन निश्चित किये गय हैं जहां कि स्टेशन पर ग्रागामी वर्ष में इस तरह की दुकानें खोली जायेगी ?

श्री शाहनवाज क्षां : इसके लिये पिछले साल नवम्बर में रेलवे मिनिस्ट्री ने आईर्स ईशू किये थे और लोगों से दरस्वास्तें मांगी गई थीं। २६ स्टेशनों के लिये दरस्वास्तें आई हं, जिनके लिये गौर हो रहा है।

भी देवकीनन्दन नारायणाः ये २६ स्टेशन कौन कौन से हूँ? क्या ये बताये जा सकते हैं? भी शाहनवाज साः इनको बता सकते हं, ग्रगर ग्रापकी इजाजत हो । काफी लम्बी लिस्ट है ।

MR. CHAIRMAN: It is a long list. Not necessary.

भी राम सहाय: क्या माननीय मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन स्टेशनों पर हेंडलूम्स का जो माल बेचा जायगा वह एक नियत कीमत पर, फिक्सड प्राइस पर, ही बेचा जायगा ?

भी मगभीवन रामः ऐसा कुछ करना रेलवे के जरिये से सम्भव नहीं है लेकिन आम तौर से रेलवे स्टेट गवनंमेंट्स से दरियाफ़त कर लेंगी कि कौन कौन से लोग हैं जो कि उनके यहां हैडलूम्स के मामले में काम करते हें ग्रौर भरसक वैसे ही लोगों को काम दिया जाय तो ग्रच्छा है ।

की म्रमोलख चंद: क्या में जान सकता हूं कि रेलवे प्लैंटफ़ार्म पर इसके लिये जो जगह दी जायगी उसका क्या किराया लिया जायगा या वह जगह स्टेंट गवर्नमेंट्स को फी दी जायगी ?

श्री शाहनवाज खां: उसके लिये मुनासिब किराया लिया जायगा । वह फी नहीं दी जायगी ।

भी अस्पत राय कपूर: जो ग्रापने दरस्वास्तें मांगी थीं वें सिर्फ २६ स्टेशनों के लिये ही मांगी यीं या सभी स्टेशनों के लिये मांगी थीं ग्रौर सिर्फ २६ स्टेशनों के लिये ही ग्राई ?

श्री झाहनवाज सा: सभी स्टेशनों केलिये।

भी अस्पत राय कपूर : क्या कोई खुली इजाजत दे दी थां कि किसी भी स्टेशन के लिये जो जो दरस्वास्त देना चाहते हैं दें ?

मी साहनवाच जांः जी हां।

भी देवकीतन्दन नारायण। क्या में जान सकता हूं कि लखनऊ स्टेशन के लिये क्या किराया निश्चित किया गया है ?

भी शाहनवाख खांः लखनऊ स्टेशन पर सन् १९३७ से हैंडलूम्स का कपड़ा बिकता है श्रीर उसका किराया २४ ध्वया माहवार है।

भी देवकीनन्दल तारायण: क्या में मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि ये जो स्टेशन चुते जायेंगे भागामी वर्ष के लिये क्या ये द्वेडलुम कोई की मलाह से चुने जायेंगे ?

भी बगबीवन राम : कोई स्टेशन चना नहीं गया है। बात यह है कि पहले रेलवे बोई की यह नीति थी कि केवल दो तीन स्टेशनों को छोड़ कर श्रीर किसी स्थान पर टाली लगाकर के इस को बेचने की इजाजत नहीं थी, हां, प्रदर्शन के लिये वह शो-केस में रख सकते थे। ग्रभी नवम्बर में मंने इस पालिसी को बदला है भौर रेलवेज को े इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर इस तरह की दरस्वास्तें ग्रायें कि स्टेशनों पर कुछ हैंडलूम कौ, आर्टेस् एंड काफ्ट्स की चीजें वह बेचने के लिये स्टाल में रखना चाहते हैं तो उन दरख्वास्तों पर मनासिब विचार किया जाये और इस तरह की दुकानों के लिये लाइसेंस दिया जाया करे। ग्रभी नवम्बर में यहां से ग्राज्ञा जारी ई है और अभी तो यह कहना सम्भव नहीं है कि किन किन स्टेशनों पर यह रहेगा ।

भी देवेकीनन्दन नारायणः क्या में मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि खादी के लये भी कोई दरस्वास्त ग्राई हई है ?

भी जगजीवन रामः खादी के लिये भी, जहां तक मुझे स्मरण है, राजपुरा से श्रीमती म्रब्दूल सलाम के लिये याई हुई है।

भी मभिमन्यु रथः क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि झादी मौर हैंडलूम में क्या डिफरेंस है ?

(कोई उत्तर महीं विया गया ।)

SHRI N. R. MALKANI: There are numerous big posters for the sale of textile mill cloth in almost all the big stations. Do you think that there is a favourable atmosphere there for selling handloom cloth?

SHRI JAGJIVAN RAM: It is a question of opinion, but there is no restriction as such on posters or placards being exhibited by the Handloom Board.

SUPPLY OP RICE BY CBNTRE TO BOMBAY

⁴ 272. SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the present monthly quantity of rice that is being supplied by the Centre to the State of Bombay?

THE DEPUTY MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI A. M. THOMAS): 13,000 tons.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Every month?

SHRI A. M. THOMAS: Yes.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: Is it a fact that in the neighbouring States of the Bombay State, the rates of rice being cheap, rice is being smuggled from those States?

SHRI A. M. THOMAS: Complaints with regard to smuggling have been made, and the Minister himself has made a statement on the floor of the House with regard to it.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: What are the rates of rice in the neighbouring States at present and what are the rates existing in Bombay State in the fair price shops?

SHRI A. M. THOMAS: In fair price shops the price is uniform. The hon. Member knows that rice is being distributed at the rate of Rs. 16 per maund, and with regard to the fine variety of rice, we sell it at Rs. 20.